जानें सरकारी योजनाएँ

टी.आर.सी.एस.सी
जमशेदपुर

SWAYAM
EMPOWERING LIVES

जानें सरकारी योजनाएँ

SWAYAM

EMPOWERING LIVES

बच्चों, किशोरों, महिलाओं

एवं जन साधारण के लिए उपयोगी

विभिन्न सरकारी योजनाओं

की संक्षिप्त विवरण पुस्तिका

स्वयं परियोजना

के तहत प्रकाशित

प्रकाशक :
टी.आर.सी.एस.सी, जमशेदपुर

प्रस्तावना

बच्चों, किशोरों, महिलाओं एवं जनसाधारण के लिए सरकारी– गैर सरकारी संस्थानो द्वारा अनेक कार्यक्रम एवं योजनाएँ संचालित हो रही हैं। इन कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से बाल विकास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महिला सशक्तिकरण और संपूर्ण विकास की दिशा में निरंतर कार्य हो रहे हैं।

सरकारी–गैर सरकारी संस्थानो द्वारा संचालित कार्यक्रमों एवं योजनाओं की सफलता और अधिकतम लोगों को इनका लाभ प्राप्त हो, इसके लिए आवश्यक है कि जनसाधारण को इन कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी हो। यदि कार्यक्रमों एवं योजनाओं की सही जानकारी मिल जाए तो इसका अधिकतम लाभ लोगों को मिलेगा।

टी.आर.सी.एस.सी., जमशेदपुर द्वारा विभिन्न कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। इन्हीं कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम स्वयं परियोजना है जो सरायकेला–खरसावां जिले के कुचई प्रखण्ड के अंतर्गत चार पंचायतों में चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य बाल अधिकार, संरक्षण एवं सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है। परियोजना के तहत बच्चों, किशोरों, महिलाओं एवं आम लोगों को स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, बाल विकास, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास एवं समाज कल्याण संबंधी संचालित विभिन्न कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जानकारी के लिए यह पुस्तिका प्रकाशित की जा रही है जो निश्चित रूप से आम लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी।

इस पुस्तिका के प्रकाशन में कुचई प्रखण्ड के प्रखण्ड विकास पदाधिकारी श्री साधु चरण देवगम, परियोजना परामर्शी श्री रजत मित्रा एवं टी.आर.सी.एस.सी. के डॉ. सुरेश प्रसाद साहु का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। इन सभी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। इस पुस्तिका की प्रस्तुति में डॉ. इलियास मजीद ने विशेष योगदान दिया है। अतः इनको भी धन्यवाद देता हूँ। आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह पुस्तिका अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी।

मानस कुमार दास
सचिव
टी.आर.सी.एस.सी.
जमशेदपुर

विषय-सूची

समेकित बाल विकास सेवा योजना (I.C.D.S.)	04
मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम (एम.सी.एच.कार्यक्रम)	05
नवजात शिशु एवं बाल्यकाल की बीमारियों की समेकित देखभाल	06
पल्स पोलियो कार्यक्रम	07
प्रतिरक्षण कार्यक्रम	07
राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम	08
आयरन और फोलिक एसिड टेबलेट एवं सैनिटरी नेपकिन	10
मुख्यमंत्री गंभीर असाध्य बीमारी उपचार योजना	12
ममता वाहन सेवा	13
सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना	14
गुरुजी स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना	16
साईकिल वितरण योजना	17
बाल्यावस्था प्राथमिक शिक्षा (ई.सी.ई.)	18
कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय	18
एनीमिया नियत्रंण कार्यक्रम	19
वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना	20
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	21
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना	22
डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम	24
एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	25
आयुष्मान भारत योजना	25
प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना	26
स्वामी विवेकानन्द नि:शक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना	27
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना	29
झारखंड मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना (J.M.M.M.S.Y.)	30
कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावास	31
झारखंड विधवा पेंशन योजना	32
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली	34
अंत्योदय अन्न योजना (एस.वाई.)	36
अन्नपूर्णा योजना	37
निर्माण मजदूर योजना	39
महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (म.न.रे.गा.)	41
मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना	42
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना	44
प्रधानमंत्री आवास योजना	46
अबुआ आवास योजना झारखंड	47
प्रधानमंत्री जन धन योजना	48
किसान क्रेडिट कार्ड (K.C.C.)	50
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना	51
बिरसा हरित क्रांति योजना	52
मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना	54
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना	56

समेकित बाल विकास सेवा योजना (ICDS)

उद्देश्य :

- बच्चों के उचित मनोवैज्ञानिक शारीरिक और सामाजिक विकास की आधारशिला रखना।
- छः वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना।
- मृत्यु दर रुग्णता और कुपोषण से बचाव एवं स्कूल छोड़ने की घटनाओं में कमी लाना।
- बाल विकास को बढ़ावा देना।
- उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं के देखभाल के लिए माताओं की क्षमता बढ़ाना।

पात्रता :

- छः वर्ष तक बच्चे
- माताएँ
- गर्भवती एवं धातृ माताएँ

सेवाएं / लाभ :

- पूरक पोषण आहार
- टीकाकरण
- विधालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षा
- स्वास्थ्य जांच
- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा
- परामर्श सेवाएं

आवेदन प्रक्रिया :

- अपने निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र / सेविका से मिलकर नामांकित हों।

कार्यान्वयन प्रक्रिया :

प्राथमिक स्तर पर आंगनबाड़ी सेविका / केन्द्र और जिला स्तरीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन की देखरेख जिला समाज कल्याण पदाधिकारी करते हैं। कार्यक्रम का कार्यान्वयन प्रदेश स्तर पर होता है जिसमें निदेशक, अपर निदेशक, सहायक निदेशक, शोध अधिकारी, परियोजना प्रबंधक एवं लेखाधिकारी विभिन्न कार्यक्रमों की देखरेख करते हैं।

संपर्क :

अपने क्षेत्र के निकटतम आंगनबाड़ी केन्द्र मे अथवा पर्यवेक्षक बाल विकास परियोजना अधिकारी अथवा जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी एंव संबंधित जिलाधिकारी।

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम (एम.सी. एच. कार्यक्रम)

उद्देश्य :

- माताओं एवं नवजात शिशुओं की मृत्यु दर में कमी लाना।
- नवजात शिशुओं की देखभाल, बच्चों की आकस्मिक सेवाओं एवं गर्भवती महिलाओं हेतु आकस्मिक प्रसव सेवाओं के लिए प्रथम संदर्भ सेवा कार्य को सुदृढ़ करना।
- टीका, दवा एवं अन्य सामग्रियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।
- गर्भवती माताओं का शत–प्रतिशत पंजीकरण एवं गुणवत्तापूर्ण प्रसवपूर्व तथा प्रसवोपरांत देखभाल सुनिश्चित करना।
- संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना।
- गाँव के अंतिम बच्चे तक टीकाकरण की सेवा पहुँचे जिससे कि शत–प्रतिशत टीकाकरण हो सके।

पात्रता :

महिलाएँ एवं बच्चे

लाभ :

- माताएँ एवं बच्चे स्वस्थ रहेंगे।
- गर्भवती महिलाओं को टी.टी. के दो टीके एक महीने के अन्तराल पर एवं आयरन–फोलिक एसिड (आई.एफ.ए.) की गोली निःशुल्क दी जाती है।
- एक वर्ष तक के बच्चों को नियमित टीकाकरण कर छः जानलेवा बीमारियों से बचाया जा सकता है।
- इसके लिए मुख्यमंत्री जननी एवं शिशु स्वास्थ्य अभियान के अन्तर्गत गर्भवती माताओं को ए.एन.एम. एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं के पास अपना पंजीकरण कराने पर 100 रुपये का एकमुश्त लाभ मिलता है। दूसरे ए.एन.सी. के समय 400 रुपये मूल्य का कूपन मिलता है। तीसरे ए.एन.सी. के समय 900 रुपये का कूपन मिलता है। इस तरह 1300 रुपये का कूपन (कुल 1400 रुपये) संस्थागत प्रसव हेतु मिलता है।
- टीकाकरण स्थल पर सभी लाभार्थियों को प्रत्येक टीका के लिए 2 रुपये एवं उत्प्रेरकों को एक रुपया की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

प्रक्रिया :

एम.सी.एच. कार्यक्रम के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र एवं आंगनबाड़ी केन्द्र में पंजीकरण कराकर सुविधाएँ प्राप्त की जा सकती हैं।

सम्पर्क :

ए.एन.एम. या स्वास्थ्यकर्मी / प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी

नवजात शिशु एवं बाल्यकाल की बीमारियों की समेकित देखभाल

उद्देश्य :

- बाल्य काल एवं नवजात शिशुओं के बीमारियों की समुचित देखभाल कर उनमें होने वाले मृत्यु दर को कम करना।
- संदर्भ सेवा का सुदृढ़ीकरण।
- घरेलू उपचार को बढ़ावा देना।
- स्तनपान को प्राथमिकता।

पात्रता :

0–5 वर्ष तक के बच्चों के लिए।

प्रक्रिया :

स्वास्थ्य एवं आई.सी.डी.एस. विभाग द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण कर्मियों को प्रखण्ड स्तर पर प्रशिक्षण देकर माताओं एवं बच्चों तक पहुँचाना तथा बीमार बच्चों का आकलन कर रेफरल सुनिश्चित करना ताकि उन्हें यथा समय स्वास्थ्य सुविधा मिले।

सम्पर्क :

आंगनबाड़ी सेविका/ए.एन.एम./ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी

पल्स पोलियो कार्यक्रम

उद्देश्य :

- 0–5 वर्ष तक के बच्चों में पोलियो की खुराक सुनिश्चित करना।
- पोलियो को जड़ से मिटाने हेतु किसी निश्चित दिन देश के सभी 05 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक देना।
- अभियान के तहत सभी बच्चों को 2 बूंद खुराक दी जाती है चाहे उस बच्चे ने कई बार खुराक पिया हो या कभी भी न पिया हो।

पात्रता :

0–5 वर्ष तक के बच्चे।

प्रक्रिया :

- प्रत्येक गाँवों के स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, अस्पताल, पंचायत भवन या किसी निश्चित स्थल पर पोलियो बूथ निश्चित दिन, समय एवं स्थल पर बनाया जाता है एवं स्वास्थ्यकर्मी अथवा किसी भी वोलिन्टियर द्वारा बच्चों को खुराक पिलाई जाती है। अभियान के दूसरे एवं तीसरे दिन घर–घर जाकर छूटे हुए बच्चों को पोलियो की खुराक दी जाती है।

सम्पर्क :

- ए०एन०एम० अथवा स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

प्रतिरक्षण कार्यक्रम

उद्देश्य :

- गर्भवती माताओं एवं बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाना।
- बच्चों में छः जानलेवा बीमारियों से बचाव हेतु निःशुल्क टीकाकरण सुनिश्चित किया जाना।
- गर्भवती माताओं एवं नवजात शिशु को टेटनस से बचाव हेतु गर्भवती माताओं को टी०टी० के दो टीके लगाना।

- टीकाकरण स्थल पर सभी लाभार्थियों को 2 रुपये की दर से एवं उत्प्रेरकों को प्रत्येक टीका के लिए 1 रुपया की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

पात्रता :

नवजात शिशु, बच्चे एवं गर्भवती माताएँ।

प्रक्रिया :

प्रत्येक गाँव अथवा आंगनबाड़ी केन्द्र पर माह में किसी निश्चित दिन एवं निश्चित स्थल पर निःशुल्क टीकाकरण सेवा ए.एन.एम. अथवा स्वास्थ्य कार्यकर्त्ता द्वारा की जाती है।

सम्पर्क :

ए.एन.एम. अथवा स्वास्थ्य कार्यकर्ता / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

उद्देश्य :

- राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.के.एस.के.) भारत सरकार का एक स्वास्थ्य कार्यक्रम है जो किशोरों के स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने के लिए संचालित है।
- राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का उद्देश्य किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को अधिक से अधिक बढावा देना है।
- ग्रामीण किशोरियों में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरुकता बढ़ाना।
- ग्रामीण किशोरियों को किफायती कीमतों पर सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना।
- किशोर किशोरियों को यौन स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा और उचित सलाह सेवा प्रदान करना।

पात्रता :

सभी किशोर एवं किशोरियां

जानें सरकारी योजनाएँ

कार्यक्रम :

- किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिकों (एएफएचसी) को सुदृढ़ बनाना।
- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा संबंधी विभिन्न कार्यक्रम, तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रमों के साथ समन्वय स्थापित कर किशोर/किशोरियों के हित में कार्यक्रम।

कार्यान्वयन प्रक्रिया :

- किशोर–किशोरियों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करना जिसके माध्यम से उन्हें इस अवस्था में आने वाले कठिनाइयों से अवगत कराया जाता है। साथ ही किशोर/किशोरियों की समस्याओं को जान–समझ कर उनके समाधान के लिए साकारात्मक उपायों को बताया जाता है।
- स्वास्थ्यकर्मियों एवं इस क्षेत्र में काम करने वालों के द्वारा निजता एवं गोपनीयता को बरकरार रखते हुए स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं को दूर करने के कार्य किए जाते हैं।
- प्रत्येक माह किशोर स्वास्थ्य दिवस का आयोजन किया जाता है जिसमें किशोरावस्था की परिवर्तनशील वृद्धि और विकास के बारे में जागरूक किया जाता है।
- राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन कर इन्हें अपने अधिकार के प्रति जागरूक करके उन्हें समाज में विकास के लिए समान अवसर और सम्मान दिलाने के लिए इस दिवस का आयोजन किया जाता है।
- साप्ताहिक आयरन एवं फोलिक एसिड अनुपूरण कार्यक्रम।
- मासिक धर्म स्वच्छता संबंधी कार्यक्रम एवं सेनेटरी नेपकिन वितरण।
- किशोर मेला का आयोजन।
- विशेष स्वास्थ्य एवं परामर्श शिविर का आयोजन।

संपर्क

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- सहिया
- एएनएम
- सहकर्मी शिक्षक
- हितधारक संस्थाएं
- परामर्श केंद्र
- किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक
- जिला स्वास्थ्य केन्द्र

आयरन और फोलिक एसिड टेबलेट एवं सैनिटरी नेपकिन

⇨ आयरन और फोलिक एसिड गोली

उद्देश्य :

- किशोरियों को आयरन और फोलिक एसिड गोली लेने की सलाह दी जाती है इसका उद्देश्य यह है कि किशोरावस्था में तेजी से होने वाले विकास में आयरन की आवश्यकता बढ़ जाती है, आयरन और फोलिक एसिड की गोली लेने से एनिमिया की रोकथाम होती है तथा शरीर में खुन की कमी नहीं होती है।

पात्रता :

- 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग की किशोरियां

लाभ एवं क्रियान्वयन :

- एनिमिया की रोकथाम।
- किशोरियों के विकास में सहायक।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुसार 10 से 19 वर्ष की आयु के किशोरियों को सप्ताह में एक बार आयरन और फोलिक एसिड की गोली खानी चाहिए।
- आयरन और फोलिक एसिड की गोली खाली पेट नहीं खाना चाहिए बल्कि भोजन करने के आधा घंटा बाद खाना चाहिए।

जानें सरकारी योजनाएँ

- किशोरियों को आयरन और फोलिक एसिड की गोली खाने के लिए प्रेरित करना चाहिए।
- स्वास्थ्य विभाग की टीम इसके लिए विधालयों का भ्रमण करती है और उनके द्वारा आयरन एवं फोलिक एसिड की गोली उपलब्ध करायी जाती है।
- विधालय नहीं जाने वाली किशोरियों को आंगनबाड़ी और सहिया दीदी के माध्यम से आयरन एंव फोलिक एसिड की गोली खिलाई जाती है।

⇨ **सैनिटरी नेपकिन**

- सैनिटरी नेपकिन एक सोखने वाला पैड होता है जिसे मासिक धर्म के समय उपयोग किया जाता है।
- मासिक धर्म के अलावा योनि की शल्य चिकित्सा के बाद और प्रसवोपरांत रक्तस्राव को सोखने के लिए भी सैनिटरी नेपकिन का उपयोग किया जाता है।
- काटन पैड का इस्तेमाल करें।
- पैड का चुनाव अपने ब्लड फ्लो के हिसाब से करें।
- एक ही पैड को दिन भर इस्तेमाल नहीं करें।
- मासिक धर्म के समय साफ सफाई एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें।
- किसी प्रकार की कठिनाई अथवा असुविधा हो तो स्वास्थ्यकर्मियों से परामर्श लें।

संपर्क :

- आंगनबाड़ी केन्द्र
- सहिया
- निकटतम स्वास्थ्य केन्द्र

मुख्यमंत्री गंभीर असाध्य बीमारी उपचार योजना

उद्देश्य :

मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी उपचार योजना का उद्देश्य असाध्य रोगों तथा सभी प्रकार के कैंसर, किडनी प्रत्यारोपण गंभीर लीवर रोग, एसिड अटैक से प्रभावितों एवं अन्य गंभीर रोगों से पीड़ित लोगों को चिकित्सा सहायता/ अनुदान देना।

पात्रता :

- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे गंभीर रोग से पीडित रोगी।
- असाध्य रोग जैसे कैंसर, लिवर, हृदय एवं एसिड अटैक के रोगी।
- झारखंड के स्थायी निवासी।

प्रक्रिया :

- इस योजना में पांच लाख रुपये तक के आवेदनों को स्वीकृत करने का अधिकार जिला स्तर पर के सिविल सर्जन को दिया गया है।
- पांच लाख रुपये से अधिक की राशि की स्वीकृति स्वास्थ्य विभाग द्वारा की जाएगी।
- इस योजना से असाध्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों के इलाज की प्रक्रिया तेज होगी।

कार्यान्वयन :

- इस योजना के तहत चिकित्सा सहायता अनुदान की राशि दस लाख रुपये कर दी गई है।
- इस योजना के तहत असाध्य रोगों की सूची में और भी रोगों को शामिल किया गया है।
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए झारखंड मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है।
- आवेदन के लिए आवेदक को अपने आधार कार्ड का फोटो और सेल्फी

अपलोड करना होता है।

- आवेदक को अपने गृह जिले, प्रखण्ड, पंचायत, नाम, पिता का नाम, आधार संख्या, बैंक का विवरण और मोबाइल नंबर देना होगा।
- आवेदन के बाद आवेदक को सहायता भुगतान संबंधी सूचना दी जाएगी।

संपर्क :

- प्रखण्ड चिकित्सा पदाधिकारी
- जिला सिविल सर्जन
- स्वास्थ्य विभाग

ममता वाहन सेवा

उद्देश्य :

- झारखंड में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं और एक वर्ष तक के बीमार शिशुओं को अस्पताल पहुंचाना ताकि यथासमय उन्हें स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त हो सके।

पात्रता :

- गर्भवती महिलाएँ
- एक वर्ष तक के शिशु

लाभ :

- झारखंड सरकार द्वारा ममता वाहन पर प्रति लाभुक मरीज 1250/– रुपये तक व्यय की जाती है।
- ममता वाहन लाभुकों को निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है।
- मरीज को घर से अस्पताल पहुंचाने के लिए प्रथम छह किलोमीटर के लिए एकमुश्त 500/– रुपये और इसके बाद प्रति किलोमीटर 13/– रुपये के दर से भुगतान किया जाता है इसी प्रकार अस्पताल से घर पहुंचाने के लिए प्रति किलोमीटर 13/– रुपये की दर से ममता वाहन को भुगतान किया जाता है।

संपर्क :

- स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता/सहिया/ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र।

सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना

उद्देश्य :

- बालिका शिक्षा पर जोर देना।
- बाल विवाह प्रथा का अंत करना।
- महिला सशक्तिकरण करना।
- किशोरियों को अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना।

पात्रता :

- माता की प्रथम दो पुत्रियों को देय होगी।
- माता / पिता आयकर दाता नहीं होंगे।
- बालिका का जन्म प्रमाण पत्र हो।
- बालिका एवं माता का आधार कार्ड।
- बालिका का बैंक / पोस्ट आफिस में खाता हो।
- माता / पिता / केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में स्थायी रूप से नियोजित अथवा सेवानिवृत्त नहीं होंगे एवं इन नियोजनकर्ताओं से पेंशन / पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने वाले नहीं होंगे।
- 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर लाभार्थी का उस कैलेंडर वर्ष के 01 जनवरी अथवा उसके पश्चात् पुनरक्षित झारखंड राज्य की मतदाता सूची में पंजीकृत करना अनिवार्य होगा।

लाभ :

- कक्षा 8 वीं में रुपये 2,500/–
- कक्षा 9 वीं में रुपये 2,500/–
- कक्षा 10 वीं में रुपये 5, 000/–
- कक्षा 11 वीं में रुपये 5, 000/–
- कक्षा 12 वीं में रुपये 5, 000/–
- 18–19 वर्ष की आयु की किशोरी को एकमुश्त रुपये 20, 000/–

आवेदन प्रक्रिया :

अपने क्षेत्र अन्तर्गत सीधे अथवा आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से बाल विकास परियोजना कार्यालय में आवश्यक प्रमाण पत्रों / अभिलेखों के साथ विहितं प्रपत्र में आवेदन पत्र समर्पित करेंगे प्रमाण पत्रों / अभिलेखों की स्व– अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

प्रारंभ में इस योजना के तहत पूरी प्रक्रिया Manually की जायगी तथा कालांतर में पूरी प्रक्रिया Online सम्पन्न करायी जाएगी।

कार्यान्वयन प्रक्रिया :

- बाल विकास परियोजना के संबंधित महिला पर्यवेक्षिका द्वारा लाभार्थी का भौतिक सत्यापन।
- लाभार्थियों के योग्य पाये जाने पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा लाभार्थियों का आवेदन अपनी अनुशंसा के साथ संबंधित जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।

सम्पर्क :

- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी का कार्यालय।
- जिला समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा समीक्षा उपरांत स्वकृति प्रदान किये जाने पर लाभुक के खाते में राशि ABPS/NEFT/RTGS/PF के माध्यम से भुगतान की जाएगी।
- सरकारी तथा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त और Right to Education (RTE) के अन्तर्गत प्राइवेट स्कूलों में।
- योजना के अन्तर्गत ड्रॉपआउट किशोरियों को स्कूल / कालेज के विशेष पहल द्वारा।

नोट : योजना अंतर्गत मिलने वाली राशि छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होगी।

गुरुजी स्टुडेंट क्रेडिट कार्ड योजना

उद्देश्य :

झारखंड के आर्थिक कमजोर परिवार से संबंधित छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण उपलब्ध कराना।

पात्रता :

- आवेदक झारखंड राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।

लाभ :

- बैंक लोन की तुलना में काफी कम ब्याज दर पर ऋण मिलना।
- उच्च एवं बेहतर शिक्षा के लिए 15 लाख रुपये तक की शैक्षणिक ऋण उपलब्ध कराना।
- ऋण चुकाने के लिए 10 वर्ष की लम्बी अवधि प्रदान करना।
- शिक्षा ऋण हेतु किसी प्रकार की कोलैटरल सिक्युरिटी देने की आवश्यकता नहीं।

नोट : बैंक की कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं देना है।

आवेदन प्रक्रिया :

- आवेदक को झारखंड सरकार की वेबसाइट पर जाकर GSCCY योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- आवेदन पत्र में मांगी गई सारी जानकारी भरकर और दस्तावेज अपलोड करके आवेदन जमा करना होगा।
- आवेदन की जांच के बाद योग्य आवेदक को ही ऋण देने के लिए स्वीकार किया जाएगा।

आवश्यक दस्तावेज :

- आवेदक का पासपोर्ट साईज फोटो।
- पैन कार्ड और बैंक अकाउंट का डिटेल।

- आवेदक के कॉलेज का आई.डी.।
- आवेदक के माता पिता का इनकम सर्टिफिकेट।

संपर्क :

- आवेदक ऋण दाता बैंक में आवेदन करें।
- ऋण आवेदन अप्रूव होने के बाद, आवेदक को ऋण के लिए बैंक या वित्तीय संस्थान से संपर्क करना है।
- ऋण लेने के बाद आवेदक को ऋण की किस्त नियमित रूप से चुकानी होगी।

साईकिल वितरण योजना

उद्देश्य :

- वंचित वर्ग के स्कूली छात्राओं को पढ़ाई छोड़ने से रोकना।

पात्रता :

अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछडी जाति, अल्पसंख्यक एवं गरीबी रेखा से नीचे की सहित सभी वर्ग की किशोरियां।

प्रक्रिया :

छात्राओं को चिन्हित कर सूची तैयार की जाती है तद्नुसार विद्यालय परिसर में ही साईकिल वितरण किया जाता है।

- आठवीं कक्षा की छात्राओं को नि:शुल्क साईकिल प्रदान किया जाता है।
- छात्राओं की कक्षा स्तर पर उपस्थिति का आकलन किया जाता है तथा इस आधार पर छात्राओं की सूची तैयार कर साईकिल वितरण किया जाता है।

सम्पर्क :

विद्यालय के प्रधानाध्यापक

संकुल संसाधन केन्द्र/प्रखण्ड संसाधन केन्द्र

बाल्यावस्था प्राथमिक शिक्षा (ई. सी. ई.)

उद्देश्य :

- 0–3 वर्ष के बच्चों के लिए स्वस्थ घरेलू वातावरण एवं आधार का विकास करना।
- 3–6 आयु वर्ग के बच्चों के लिए पूर्व प्राथमिक शिक्षा की सुविधा प्रदान करना और विद्यालय शिक्षा के लिए उन्हें तैयार करना।
- समेकित बाल विकास के योजना के अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक शिक्षा को सुदृढ़ करना।

पात्रता :

- 0–6 वर्ष के बच्चे।
- 1 कि.मी. के दायरे में कोई भी शैक्षणिक संस्था नहीं होने पर ई.सी.ई. केन्द्र की स्थापना की जाती है। सिर्फ शिक्षा का काम होता है।
- शिक्षा देने वाले अनुदेशिका को 500/– रुपये प्रतिमाह मिलता है। हेल्थ किट दिया जाता है।

प्रक्रिया :

यदि किसी गाँव में 1 कि.मी. की दूरी पर किसी प्रकार की शैक्षणिक संस्था नहीं हो तो ई.सी.ई. संस्था खोलने के लिए झारखंड शिक्षा परियोजना / महिला संस्था से सम्पर्क कर इस केन्द्र की स्थापना की जाती है।

सम्पर्क :

एन.पी.ई.जी.ई.एल. के प्रखण्ड समन्वयक, प्रखण्ड संसाधन केन्द्र, महिला संस्था की जिला स्तरीय साधन सेवी।

कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय

उद्देश्य :

- छीजित (पढ़ाई छोड़े हुए) बच्चियों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना।

पात्रता :

11 से 14 वर्ष की बच्चियाँ जिन्होंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी हो।

लाभ :

- 6 वर्षों के लिए आवासीय शिक्षा की व्यवस्था की जाती है।
- लाभार्थी का किसी भी प्रकार का कोई खर्च नहीं होता है।
- कक्षा 6 से 12 तक पढ़ाई होती है।
- बच्चों का नामांकन बाद में सामान्य उच्च विद्यालय में कराया जाता है या एन.ओ.एस. द्वारा मैट्रिक की परीक्षा दिलाई जाती है।

प्रक्रिया :

11 से 14 वर्ष की कोई भी बालिका जो पाँचवीं से सातवीं कक्षा के बीच कभी भी पढ़ाई छोड़ी हो, कस्तूरबा गाँधी आवासीय विद्यालय में नामांकन करा सकती है।

सम्पर्क :

प्रखण्ड संसाधन केन्द्र झारखण्ड शिक्षा परियोजना एवं जिला कार्यालय।

एनीमिया नियत्रंण कार्यक्रम

उद्देश्य :

- 10 से 19 वर्ष की किशोरियों में एनीमिया अथवा हेमोग्लोबिन की कमी को दूर करना, सप्ताह में एक लौह तत्व युक्त गोली का सेवन कराना एवं उन्हें स्थानीय उपलब्ध लौह तत्व युक्त एवं विटामिन "सी" युक्त भोज्य पदार्थों के व्यवहार हेतु प्रेरित करना।
- 10–19 वर्ष की किशोरियों में एनीमिया (रक्त की कमी) को दूर करने के लिए शिक्षा विभाग के सहयोग से जिला में एनीमिया नियंत्रण कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

पात्रता :

10–19 वर्ष की किशोरियों के लिए।

प्रक्रिया :

- एनीमिया नियत्रंण कार्यक्रम के अन्तर्गत 10–19 वर्ष की किशोरियाँ, विद्यालय तथा आंगनबाड़ी केन्द्र से आयरन की गोली निःशुल्क प्राप्त कर

सकती हैं।

- कार्यक्रम के अन्तर्गत विद्यालय जाने वाली किशोरियों को विद्यालय में निःशुल्क आयरन फोलिक एसिड की गोली दी जाती है तथा विद्यालय नहीं जाने वाली किशोरियाँ आंगनबाड़ी केन्द्र से आयरन फोलिक एसिड की गोली निःशुल्क प्राप्त कर सकती हैं।

सम्पर्क :

प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधीक्षक/पदाधिकारी

वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना

उद्देश्य :

- इस योजना का उद्देश्य राज्य के प्रत्येक ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान का विकास करना है। इसके माध्यम से राज्य के सभी पंचायतों में 6000 खेल के मैदान का निर्माण होना है। साथ ही खिलाडियों के लिए खेल सामग्री की व्यवस्था होगी। प्रखंड एवं जिला स्तर पर सुसज्जित प्रशिक्षण केंद्रों के संचालन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। एक ओर जहां सरकार खिलाडियों की प्रतिभा को निखारने का कार्य करेगी वहीं खेल के माध्यम से नौकरी में आरक्षण भी दिया जाएगा।

मुख्य बिन्दु :

- इससे मनरेगा के तहत एक करोड़ मानव दिवस का सृजन होगा। वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत सरकार सभी पंचायतों सहित राज्य भर में 6 हजार खेल के मैदानों का निर्माण करेगी।
- इस योजना के माध्यम से सरकार खिलाडियों की प्रतिभा निखारने का कार्य करेगी एवं खेल के माध्यम से नौकरी में आरक्षण प्रदान करेगी।
- इस योजना का नाम शहीद पोटो हो करने का उद्देश्य सिंहभूम में अंग्रजों के विरुद्ध आवाज उठाने वाले बीर शहीद पोटो हो की विरता के विषय में वर्तमान एवं आने वाली पीढी को अवगत कराना है।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक खेल मैदान का निर्माण / विकास किया

जाएगा।

- खिलाडियों हेतु Changing Room एंव शौचालय का निर्माण राज्य के अन्य योजना के साथ अभिषरण कर दिया जाएगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

उद्देश्य :

- ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य की स्थिति को बेहतर बनाना।
- मिशन के माध्यम से गाँव–गाँव तक स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाना।
- स्वास्थ्य एवं उसको प्रभावित करने वाले कारक जैसे– पेयजल, पोषण एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम में समन्वय स्थापित करना।
- प्रशिक्षित महिला स्वास्थ्यकर्मी के रूप में गाँव/टोला से सहिया का चुनाव।
- सार्वजनिक टीकाकरण की सुलभता।
- जिला स्तर पर चलन्त चिकित्सा इकाई को संचालित करना।
- मुख्यमंत्री जननी शिशु स्वास्थ्य अभियान के माध्यम से संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना।
- देशी चिकित्सा पद्धति को सभी स्तरों पर मुख्य धारा का अंग बनाना।
- भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों (आई.पी.एच.एस.) के आधार पर समयबद्ध ढंग से सी.एच.सी. को स्तरोन्नत करना।

पात्रता :

बच्चे, महिलाएँ एवं किसी भी रोग से ग्रसित व्यक्ति।

कार्यान्वयन :

- तीन स्तरीय व्यवस्था करना है।
- 80,000 जनसंख्या पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
- 20,000 जनसंख्या पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- 3,000 जनसंख्या पर स्वास्थ्य उपकेन्द्र

जिला स्तर, प्रखण्ड स्तर एवं ग्राम स्तर पर समिति बनाकर कार्य करना।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य उपकेन्द्र को कुछ बंधनमुक्त वित्तीय व्यवस्था प्रदान की गई है जो इस प्रकार है :

- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हेतु –75,000 रुपये
- स्वास्थ्य उपकेन्द्र हेतु – 10,000 रुपये
- उपर्युक्त राशि का उपयोग केन्द्र के रख–रखाव एवं गाँवों तक स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाने के लिए ए.एन.एम. एवं डॉक्टर अपने विवेक से व्यय कर सकते हैं।

सम्पर्क :

सहिया, आंगनबाड़ी सेविका, ए.एन.एम. एवं चिकित्सा पदाधिकारी

प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना

उद्देश्य :

- गर्भावस्था, प्रसव और स्तनपान के दौरान महिलाओं को जागरूक करना जच्चा–बच्चा देखभाल और संस्थागत सेवा के उपयोग को बढ़ावा देना।
- महिलाओं को पहले छः महीने के लिए प्रारंभिक और विशेष स्तनपान एवं पोषण प्रथाओं का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना।
- गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को बेहतर स्वास्थ्य और पोषण के लिए नगद प्रोत्साहन प्रदान करना।
- गर्भवती महिलाओं को प्रसव के समय पूर्ण रूप से सहायता देना।
- सभी वर्गो, जातियों एवं समुदायों की महिलाओं को समान रूप से लाभ पहुंचाना।

पात्रता :

- भारतीय गर्भवती महिलाएँ जिनकी आयु 19 से 50 के बीच हो।
- लाभ प्राप्ति के समय महिला का गर्भवती होना आवश्यक है।
- मातृत्व योजना का लाभ लेने के लिए किसी प्रकार का फीस नहीं देना पड़ता है।

- इस योजना के तहत पात्रता उन्हीं महिलाओं को है जो प्रथम शिशु को जन्म देने वाली है।
- यदि गर्भवती महिला किसी एक राज्य को छोड़ कर दूसरे राज्य में रहती है तो इस योजना का लाभ लेने के लिए वतर्मान राज्य के दस्तावेजों की जरूरत होगी।

लाभ :

- गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रथम जीवित बच्चे के दौरान लाभ पहुंचाना।
- गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण के समय पहली किस्त के रूप में 1000/– रुपये प्रदान की जाएगी।
- गर्भावस्था के 6 महीने बाद प्रसव के पहले दूसरी किस्त के रूप में 2000/– रुपये प्रदान की जाएगी।
- बच्चे के जन्म और उसके पंजीकरण तथा तथा टीकाकरण के प्रथम चक्र पूरा होने पर तीसरी किस्त के रूप में 2000/– रुपये प्रदान की जाएगी।
- इनके अतिरिक्त 1000/– रुपये का अलग लाभ जननी सुरक्षा योजना के तहत महिला को प्रसव के दौरान ही दे दिया जाता है।

आवेदन प्रक्रिया :

आंगनबाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का संचालन किया जाता है। महिलाएं वहाँ जाकर इस योजना के लिए पंजीकरण करा सकती हैं। स्वास्थ्य सेवा केन्द्रों पर भी इस योजना के लिए पंजीकरण कराया जा सकता है। इसमें सहिया मदद करती है इस प्रकार आंगनबाड़ी एवं स्वास्थ्य केन्द्रों के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया होता है।

आवश्यक दस्तावेज :

- गर्भवती महिला का आधार कार्ड।
- महिला के पति का आधार कार्ड।
- गर्भवती महिला का बैंक खाता नंबर जिसमें मातृत्व वंदना योजना के अन्तर्गत राशि प्रदान की जाएगी।
- यदि बच्चे का जन्म हो चुका हो तो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, गर्भस्थ

महिला के लिए यह आवश्यक नहीं है।

- तीसरे किस्त के लिए बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा।
- महिला के फोटो सहित गर्भवती महिला का हस्ताक्षर।
- एमसीपी कार्ड (जच्चा– बच्चा कार्ड)।

संपर्क :

- आंगनबाड़ी केन्द्र
- आंगनबाड़ी सहायिका / सहिया दीदी
- स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
- स्वास्थ्य कर्मी

डायरिया नियंत्रण कार्यक्रम

उद्देश्य :

- डायरिया से किसी की मृत्यु न हो।
- डायरिया से ग्रसित सभी मरीजों को डायरिया रोधी दवा उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिए जिला स्तरीय तथा प्रखण्ड स्तरीय चिकित्सा दल गठित किया गया है। दवाएँ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध हैं।

पात्रता :

डायरिया से ग्रसित सभी मरीज।

प्रक्रिया :

डायरिया संभावित समय में सभी आंगनबाड़ी केन्द्र में ब्लीचिंग पाउडर तथा ओ.आर.एस. का पैकेट वितरण किया जाता है। साथ ही सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के माध्यम से स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा ब्लिचिंग पाउडर का वितरण सुनिश्चित किया जाता है।

सम्पर्क :

आंगनबाड़ी सेविका / ए.एन.एम. असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी एवं प्रखण्ड चिकित्सा प्रभारी

एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

उद्देश्य :

- एच.आई.वी./एड्स जैसे खतरनाक बीमारी को फैलने से रोकना।
- एच.आई.वी. परीक्षण सुविधा की जानकारी देना जो जिला सदर अस्पताल में उपलब्ध है।

पात्रता :

संभावित एड्स पीड़ित

प्रक्रिया :

संभावित व्यक्ति के रक्त की जाँच की जाती है। ग्रसित व्यक्तियों को उचित सलाह दी जाती है।

- कार्यक्रम के अन्तर्गत एड्स जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव हेतु जीवनसाथी के प्रति वफादार रहने, कण्डोम का व्यवहार करने की सलाह दी जाती है।

सम्पर्क :

जिला सदर अस्पताल रक्त जाँच केन्द्र एच.आई.वी./एड्स पर काम करने वाली स्वयंसेवी संस्था।

आयुष्मान भारत योजना

उद्देश्य :

- आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना।
- प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाईजेशन के क्रम में स्वास्थ्य हेतु सहायता प्रदान करना।
- यह योजना परिवार समाहित लाभकारी कार्यक्रम है, जानकारी देना।
- पूरे भारत में स्वास्थ्य सेवाएं और उपचार निःशुल्क उपलब्ध कराना।
- शल्य चिकित्सा के लिए भी उच्चतम पैकेज में सहायता प्रदान करना।

पात्रता :

- 16–59 वर्ष की आयु वर्ग के वयस्क सदस्यों वाले परिवार।

- कम से कम शारीरिक रूप से विकलांग सदस्य और बिना सक्षम वयस्क सदस्य वाले परिवार।
- कच्चे छत और दीवारों के घर में रहने वाले परिवार।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवार।
- आदिम जनजातीय समाज।
- भिक्षाटन एवं बेहद खराब स्थिति वाले परिवार।
- बंधुआ मजदूर, भूमिहीन परिवार एवं अस्थायी श्रमिक।
- घरेलू कामगार।
- हॉकर, छोटे दूकानदार एवं फुटपाथ पर रहने वाले।
- कंडक्टर, ड्राईवर, खलासी एवं रिक्शा चालक।
- कुली, मजदूर, कारीगर एवं चौकीदार।
- गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे सभी लोग।

प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

उद्देश्य :

- प्री हॉस्पिटलाईजेशन 15 दिनों के लिए कवर किया जाना।
- दवाइयों और औषधीय सामग्रियां प्रदान करना।
- अस्पताल में निःशुल्क आवास सुविधा देना।
- इस योजना में डॉक्टर परामर्श शुल्क चिकित्सा जाँच उपचार शुल्क एवं निर्धारित शल्य शुल्क भी शामिल है, के बारे में जानना।

प्रक्रिया :

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य–योजना के आधिकारीक वेबसाइट पर किलिक करें।
- अपना मोबाइल नम्बर, कैप्च कोड डालें और जनरेट ओटीपी बटन पर किलिक करें।

- अपना नाम, घर का नंबर, राशन कार्ड नंबर दर्ज करें और अपना राज्य चुनें।
- अपने दर्ज जानकारी अनुसार पंजीकरण का सत्यापन कर लें।

आवश्यक दस्तावेज :

- पहचान एवं आयु प्रमाण पत्र पैन कार्ड/आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र / आय प्रमाण पत्र
- सम्पर्क विवरण (मोबाईल नम्बर/ई–मेल आईडी/पता)
- पारिवारिक प्रमाण पत्र (एकल परिवार / संयुक्त परिवार)

योजना अंतर्गत कवर की जाने वाली गंभीर बीमारियाँ :

स्कल बेस सर्जरी, कोरोनरी आर्टरी बाईयास ग्राफटिंग, उबल वाल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी, पल्मोनरी वाल्व सर्जरी, जलने के बाद डिफिगरेशन के लिए टिशु, प्रोस्टेट कैंसर, स्टेंट के साथ कोराटिड एंजियोप्लास्टी

संपर्क :

अपने क्षेत्र में स्थित सरकारी अस्पताल एवं आयुष्मान भारत योजना से जुड़े स्वास्थ्य केन्द्र अस्पताल एवं नर्सींग होम।

स्वामी विवेकानन्द निःशक्त स्वावलम्बन प्रोत्साहन योजना

पात्रता :

- वह झारखंड राज्य का निवासी हो।
- लाभान्वितों की आयु 5 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।
- यह केन्द्र अथवा राज्य सरकार की योजना के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा हो।
- नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण (भागीदारी) अधिनियम 1995 की धारा–2 के अन्तर्गत निर्धारित नि:शक्त की परिभाषा के अनुसार नि:शक्तता श्रेणी के अन्तर्गत आता हो।
- लाभान्वित अथवा उसके माता/पिता/अभिभावक की आय आयकर हेतु निर्धारित सीमा से अधिक नहीं हो।

- जिला चिकित्सा पर्षद द्वारा उसे निःशक्त प्रमाण पत्र निर्गत किया गया हो।
- यह केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र एवं राज्य सरकारों के उपक्रमों/केन्द्रों एवं राज्य सरकार से सहायता प्राप्त संस्थाओं का सेवा कर्मी नहीं हो।
- इस योजना के अन्तर्गत अर्हताप्राप्त लाभान्वितों के चयन तथा उनके नाम के अनुमोदन हेतु प्रत्येक अनुमण्डल पदाधिकारी (एस.डी.ओ.) की अध्यक्षता में एक समिति का गठन निम्न रूप से किया गया है।

क) अनुमण्डल पदाधिकारी (एस.डी.ओ.) अध्यक्ष

ख)वरीय कार्यपालक दण्डाधिकारी, संयोजक

ग) बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, अनुमण्डल मुख्यालय, सदस्य

घ) प्रभारी चिकित्सा अनुमण्डलीय अस्पताल, सदस्य

- इस योजना के अन्तर्गत राशि के भुगतान की व्यवस्था इस तरह विकसित की जायेगी कि निःशक्तों को असुविधा का सामना नहीं करना पड़े। कालांतर में स्थायी व्यवस्था के तहत इस राशि का भुगतान बैंक/पोस्ट ऑफिस के माध्यम से किया जायेगा। नाबालिग तथा मानसिक रूप से निःशक्त व्यक्तियों के लिए राशि का भुगतान उन्हें किया जायेगा जिनपर वे आश्रित है। शेष निःशक्तों को राशि का भुगतान सीधा किया जायेगा। जबतक बैंक/पोस्ट आफिस के माध्यम से राशि के भुगतान की व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक प्रखण्ड स्तर पर शिविर लगाकर जिला स्तर से प्रतिनियुक्त किसी वरीय पदाधिकारी की उपस्थिति में भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
- इस योजना के तहत अर्हताप्राप्त लाभान्वितों को इस योजना के लाभ से केवल इस आधार पर वंचित नहीं किया जा सकेगा कि वे सरकार की अन्य किसी कल्याणकारी योजना से लाभान्वित हुए हैं या हो रहे हों।
- इस योजना अन्तर्गत 40 प्रतिशत या उससे ऊपर के सभी विकलांग व्यक्तियों को 200/– (दो सौ) रुपये प्रति माह सहायता स्वरूप सम्मान राशि दिया जाता है।

- विकलांग कार्यशाला योजना इस योजना के तहत विकलांग व्यक्तियों को जीवन यापन शैली से संबंधित प्रशिक्षण आदि दिया जाता है।

विकलागों के लिए यंत्र एवं उपकरण :

इस योजना अन्तर्गत सभी विकलांग व्यक्तियों को उनके बेहतर एवं सुविधाजनक जीवन यापन हेतु आवश्यक यंत्र एवं उपकरण उपलब्ध कराया जाता है।

विकलांग छात्रवृति– इस योजना अन्तर्गत पढ़ने वाले सभी विकलांग छात्रों को निम्न रूप से छात्रवृतियों प्रदान की जाती है।

- कक्षा 1 से 8 के विकलांग छात्रों को 50/– (पचास) रुपये प्रति माह
- कक्षा 9 से बी ए के विकलांग छात्रों को 250/– (दो सौ पचास) रुपये प्रति माह
- बी ए. से ऊपर के विकलांग छात्रों को 260/– (दो सौ साठ) रुपये प्रति माह के दर से छात्रवृत्ति दी जाती है।
- विकलांग व्यक्तियों के लिए व्यवसायिक ऋण की सुविधा इस योजना अन्तर्गत सभी इच्छुक विकलांग व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराने के दृष्टिकोण से कम व्याज पर ऋण उपलब्ध कराई जाती है।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

उद्देश्य :

- गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के पुत्रियों के विवाह हेतु सहायता प्रदान करना।

पात्रता :

गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर करने वाली अविवाहित युवतियाँ।

प्रक्रिया :

- इस प्रकार के परिवार के पुत्रियों के विवाह हेतु प्रत्येक कन्या को दस हजार रुपये की दर से सरकारी सहायता देने का प्रावधान है।
- इस प्रकार के परिवार के पुत्रियों के विवाह हेतु प्रत्येक कन्या को दस

हजार रुपये की दर से सरकारी सहायता देने का प्रावधान है।उक्त राशि में नकद तथा विवाह के लिए दी जानेवाली सामग्री शामिल हैं। यह सामग्री वर–वधू को विवाह के बाद गृहस्थी बसाने हेतु दिया जाता है।

सम्पर्क :

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

झारखंड मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना (JMMMSY)

उद्देश्य :

झारखंड मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना का उद्देश्य महिला लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा और कल्याण को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त करना।

पात्रता :

- झारखंड की स्थायी निवासी 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएँ।

लाभ :

- लाभुक पात्र को प्रतिमाह राशि 2500/– रुपये दिया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया :

- पूरे झारखंड में कैम्प लगाकर आवेदन जमा कराया जा रहा है।
- आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है।
- झारखंड सरकार के पोर्टल mmmsy.jharkhand.gov.in के माध्यम से झारखंड के सभी आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएँ साइबर कैफे, नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र या जन सेवा केन्द्रों में जाकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगी।

कार्यान्वयन प्रक्रिया :

आवेदिका के पास आधार कार्ड, राशनकार्ड एवं स्वयं का बैंक खाता होना आवश्यक है जो आधार से लिंक हो ऐसे योग्य पात्र उपरोक्त आवेदन प्रक्रिया अनुसार आवेदन करें और झारखंड सरकार के पोर्टल पर अपनी स्थिति की जांच करें सरकार द्वारा योजना के अन्तर्गत जारी की जाने वाली राशि DBT के माध्यम से महिलाओं के बैंक खाते में सीधे जमा हो जाएगी।

आवश्यक दस्तावेज :

- आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साईज फोटो
- आयु प्रमाण पत्र
- मोबाईल नंबर

संपर्क :

- सरकार द्वारा आयोजित कैम्प एवं आंगनबाड़ी केन्द्र में ऑनलाइन फार्म जमा करें।
- ऑनलाइन फार्म ऊपर दिए गए ऑफिसीयल बेबसाइट में करें।
- अपनी नजदीकी प्रज्ञा केन्द्र एवं जन सेवा केन्द्र मे जाकर फार्म जमा करें।

कामकाजी महिलाओं हेतु छात्रावास

उद्देश्य :

- सुदूर क्षेत्रों से अथवा दूसरे शहरों की आदिवासी तथा अविवाहित महिलाओं/युवतियों को सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना।
- रहने एवं भोजन की समुचित व्यवस्था एवं सुदूर क्षेत्रों में रहने वाली आदिवासी महिलाएँ/युवतियों को बड़े शहरों में कार्यक्रम के अन्तर्गत आवास के लिए सुरक्षित स्थान मिलता है तथा महिला को 300 रुपये प्रति माह की दर से भुगतान करना पड़ता है। भोजन हेतु छात्रावास मेस में स्वतंत्र रूप से भी भोजन बनाने की व्यवस्था की जा सकती है।

पात्रता :

कामकाजी आदिवासी तथा अविवाहित युवतियाँ

प्रक्रिया :

छात्रावास में रहनेवाली महिलाओं को जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी के यहाँ आवंटन हेतु आवेदन पत्र देना पड़ता है।

सम्पर्क :

प्रखण्ड स्तर पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं जिला कल्याण पदाधिकारी

झारखंड विधवा पेंशन योजना

पति की मृत्यु के बाद विधवा महिलाओं को जीवन यापन करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए राज्य सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना की शुरूआत की गई। इस पेंशन योजना का लाभ 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की विधवा महिलाएं उठा सकती हैं। आवेदक महिला का परिवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन करने वाला होना चाहिए एंव परिवार की वार्षिक आय 48000/– रुपये या इससे अधिक नहीं होना चाहिए। झारखण्ड विधवा पेंशन योजना के अन्तगर्त्त दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में जमा की जाती है।

उद्देश्य :

पति की मृत्यु के बाद विधवा महिलाओं को सौहार्दपूर्ण जीवनयापन करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। समाज भी विधवा महिलाओं को अलग नजरिये से देखता है। इन बातों को दृष्टि में रखते हुए झारखंड सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता झारखंड विधवा पेंशन योजना के तहत प्रदान की जाती है।

लाभ :

- महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- विधवा पेंशन योजना के तहत दी जाने वाली सहायता राशि से विधवा महिलाएँ सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकेंगी।
- यह योजना विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है।
- विधवा पेंशन योजना के अंतगर्त दी जाने वाली पेंशन राशि लाभार्थी महिला के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफर होती है।
- लाभार्थी विधवा महिला का अपना बचत खाता होता है।

पात्रता :

- इस योजना का लाभ केवल विधवा महिलाओं को प्राप्त होता है।
- विधवा महिलाओं की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- पति की मृत्यु के बाद विधवा महिला दूसरी शादी कर लेती है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकती।
- यदि विधवा महिला के बच्चे वयस्क है एंव किसी रोजगार में शामिल है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

आवश्यक दस्तावेज :

- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर

ऑन लाइन आवेदन :

- विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन दे सकते हैंः–
- मोबाइल नंबर सबसे पहले झार सेवा की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएं।
- मोबाइल नंबर वेबसाइट खुलने के बाद पोर्टल पर लॉगिन होना है।
- मोबाइल नंबर यदि आप पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो पहले स्वयं को पंजीकृत करें।इसके लिए रजिस्टर्ड योरसेल्फ बटन पर किल्क करें।
- रजिस्ट्रेशन के बाद आप पोर्टल पर लॉगिन हो जाएं।
- लॉगिन होने के बाद आपको अप्लाई फॉर सर्विस के अंतगर्त्त भ्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेस का ऑपशन दिखाई देगा, इस पर किल्क करें।
- किलिक करने के बाद सेवाओं की सूची खुल जाएगी।
- इस सूची में "झारखण्ड सोशल सिक्युरिटी पेंशन" का ऑप्शन दिखाई देखा, इस पर किलिक करें।
- ऑप्शन पर किलिक करने के बाद "झारखंड विधवा पेंशन योजना" आवेदन फार्म खुल जाएगा।
- इस फार्म में आवेदक का नाम, पति का नाम आयु, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक विवरण आदि जानकारी दर्ज करना है।
- इसके बाद अपना फोटो एंव आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके सबमीट बटन पर किलिक करें। इस प्रकार झारखंड विधवा पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन हो गया।

ऑफलाइन आवेदन :

- सबसे पहले झारखंड पेंशन योजना आवेदन फार्म प्राप्त करना होगा।

फार्म ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते है।

- फार्म प्राप्त करने के बाद फार्म में दी गई सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पति का नाम, जन्मतिथि, आयु, पता, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करें।
- इसके बाद आवेदन फार्म के साथ सभी आवश्यक कागजात / दस्तावेज सलंग्न करें। पूर्णरूप से भरे हुए आवेदन फार्म को संबंधित विभाग में जाकर जमा कर दें। इस प्रकार विधवा पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन जमा हो गया।

महत्वपूर्ण जानकारी :

- विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को हर महिने 1000/– रुपये की पेंशन राशि दी जाती है।
- विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं दी जाने वाली राशि सीधे उनके बैंक खाता में दी जाती है।
- विधवा पेंशन योजना का संबंधित अधिकृत विभाग समाज कल्याण विभाग झारखंड है। विधवा पेंशन योजना 2022 संपूर्ण झारखंड में अच्छादित है। विधवा पेंशन योजना झारखंड सरकार की महत्वकांक्षी योजना है। विधवा पेंशन योजना सभी विधवा महिलाओं की सशक्तिकरण एवं आत्मनिर्भरता प्रदान करने वाली योजना है।
- विधवा पेंशन योजना का लाभ उठाने हेतु ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन किया जा सकता है। विधवा पेंशन योजना का ऑफिसियल वेबसाइट https://harsewa.jharkhand.gov.in

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली

उद्देश्य :

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) एक महत्वपूर्ण नीतिगत कार्यकम है जिसका उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या को भारी रियायती मूल्यों पर खाद्यान की न्यूनतम आवश्कताओं को पूरा करके गरीबी को कम करना है।
- राशन की दूकानों के नेटवर्क के माध्यम से सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) गरीबों को सब्सिडी में सामग्रियों को उपलब्ध कराती है।

- राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशो को खाद्यान का आवंटन एवं टी.पी.डी.एस. के माध्यम से खाद्यान उठाव और वितरण।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थी दो श्रेणियों में आते हैं।
- पहला गरीबी रेखा से नीचे के परिवार (बी.पी.एल.) और दूसरा गरीबी रेखा से ऊपर के परिवार (ए.पी.एल.)

प्रक्रिया :

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी.पी.डी.एस.) का प्रबंधन केन्द्र और राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश (यू.टी.) सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है।
- केन्द्र सरकार भारतीय खाद्य निगम के नामित डिपो में खाद्यान की खरीद, आवंटन और परिवहन के लिए उत्तरदायी है।
- राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के अन्दर खाद्यानों के आवंटन, वितरण, पात्र लाभार्थियों की पहचान करने, उन्हें राशन कार्ड जारी करने और उचित मूल्य की दूकानों के संचालन की निगरानी और निगरानी के लिए परिचालन संबंधी उत्तरदायित्व संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों की होती है।
- भारत सरकार ने खाद्यान की घरेलू खरीद और भंडारण में सुधार के लिए एफसीआई और कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (C.A.C.P.) की स्थापना को है।
- टी.पी.डी.एस. के तहत सभी कार्ड धारकों को ए.पी.एल. और बी.पी.एल. परिवारों में बांटा गया है।
- बी.पी.एल. परिवार खाद्यान, चीनी और मिट्टी तेल के लिए ए.पी.एल. परिवारों की अपेक्षा कम मूल्य देते हैं।

कार्यान्वयन :

- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत भारत सरकार ने आर्थिक लागत के 50 प्रतिशत पर प्रति बीपीएल परिवार प्रति माह 10 किलो से 20 किलो अनाज के आवंटन में वृद्धि की है।

- टी.पी.डी.एस. के तहत बी.पी.एल. परिवार को खाद्यान के आवंटन में वृद्धि और खाद्य उपलब्धता को बेहतर ढंग से लक्षित करने के लिए किया जाता है।
- राज्य–दर–राज्य गरीबी अनुमानों के आधार पर लानार्थियों की पहचान राज्यों द्वारा की जाती है।
- इसका लक्ष्य वास्तव में गरीब और कमजोर समूह को लाभ पहुंचाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसके लाभुक भूमिहीन खेती हर मजदूर सीमांत किसान ग्रामीण कारीगर, कुम्हार, टेलर, लोहार और बढ़ई आदि हैं।

अंत्योदय अन्न योजना (एसवाई)

उद्देश्य :

- अंत्योदय अन्न योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली आबादी की भूख को कम करने की लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में एक सशक्त कदम है जिसे टी.पीडी.एस. के माध्यम से प्राप्त करने का लक्ष्य है।
- अंत्योदाय अन्न योजना में बी.पी.एल. परिवारों के साथ–साथ विधवाओं, गंभीर रूप से बीमार या विकलांग, 60 या इससे अधिक आयु के लोग जिनके पास निर्वाह या सामाजिक समर्थन का कोई सुनिश्चत साधन नहीं हैं, उन्हें भी शामिल करना है।

पात्रता :

1 भूमिहीन–खेतीहर मजदूर, सीमांत किसान, ग्रामीण कारीगर/शिल्पकार जैसे कुम्हार, कर्मकार, बुनकर, लोहार, बढ़ई, झूग्गी में रहने वाले, फल–फूल विक्रेता, सपेरे, कचडा बीनने वाले, मोची आदि।

2 विधवाओं या मरणासन्न रूप से बीमार/विकलांग लोगों/60 वर्षों से अधिक आयु वर्ग के लोगों के नेतृत्त्व वाले परिवार जिनके पास निर्वाह या सामाजिक समर्थन को कोई सुनिश्चित साधन नही है।

3 आदिम जनजाति परिवार और इसके सदस्य।

राशन कार्ड हेतू आवेदन :

राशन कार्ड हेतु आवेदन फार्म ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है।

इसके लिए अपने राज्य के खाद्य विभाग के आधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा। इसके बाद डाउनलोड मेनू में जाकर आवेदन फार्म प्राप्त कर सकते है। यदि आवेदन फार्म ऑनलाइन डाउनलोड नहीं हो तो संबंधित विभाग या नजदीकी C.S.C. सेन्टर से भी प्राप्त किया जा सकता है।

राशन कार्ड बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज :

- परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड
- पुराना राशन कार्ड (यदि हो)
- पानी या बिजली का बिल
- परिवार के सभी सदस्यों का फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- वोटर आई कार्ड
- बैंक पासबुक (यदि हो)
- अन्य दस्तावेज

अन्नपूर्णा योजना

उद्देश्य :

- गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले वैसे वरिष्ठ नागरिकों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है जो असहाय, अति गरीब एवं अभावग्रस्त हैं। अति गरीब से मतलब वे वरीय नागरिक है जिनकी आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं है या अगर है भी तो यह नाम मात्र का है। उन्हें उनके परिवार से भी कोई सहायता नहीं मिलती है जिससे कि वे अपना गुजर–बसर कर सकें।

पात्रता :

अन्नपूर्णा योजना के अर्न्तगत उन लोगों को केन्द्रीय सहायता दी जायेगी जो निम्न शर्तो को पूरा करेगें।

- आवेदनकर्ता की आयु 65 वर्ष से अधिक न हो
- गरीबी रेखा से नीचे निवास करता हो
- निराश्रित हो संप्पूर्ण रूप से वृद्धावस्था पेंशन का पात्र हो या राज्य पेंशन योजना की पेंशन ले रहा हो।

चयन प्रक्रिया :

इस योजना के पात्र व्यक्तियों के चयन का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित है जो खुली बैठक के माध्यम से जिला समाज कल्याण कार्यक्रम को उपलब्ध कराएगी।

लाभ :

इस योजना के अर्न्तगत प्रति व्यक्ति को प्रतिमाह 10 किलो अनाज मुफ्त दिया जाता है, ताकि वे भुखमरी का शिकार नहीं हो सकें। खाद्यान्न की आपूर्ति स्थानीय जन वितरण प्रणाली के द्वारा की जाती है।

क्रियान्वयन :

- सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता कार्य प्रणली सार्वजनिक वितरण मंत्रालय यह सुनिश्चित करेगा।
- राज्य स्तर पर राज्य के सार्वजनिक वितरण विभाग (खाद्य आपूर्ति विभाग) और जिला स्तर पर जिलाधीश (जिला मजिस्ट्रेट), मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला पंचायत इस योजना को लागू करने के लिए समान रूप से उत्तरदायी होगें।
- जिला पंचायत लाभार्थियों की पहचान करेगी उनके बारे में जिलाधीश, मुख्य कार्य अधिकारी को बतायेगी ।
- राज्य में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत कवर किए जाने के लिए प्रतिक्षारत पहचाने जा चुके लाभार्थियों की सूची देनी होगी।
- राज्य का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सूचियों का उपयोग कर सकेगा। राज्य सरकारों केन्दीय ग्रामीण विकास मंत्रालय को इन पहचान किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या बतानी होगी।
- राज्य का खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग प्रत्येक जिले और भारतीय खाद्य निगम के लाभार्थियों की पहचान खाद्यान वितरण के बारें में जानकारी हासिल करेगा ।

निर्माण मजदूर योजना

उद्देश्य :

निमार्ण मजदूरों को सहायता प्रदान करना एवं उनका सशक्तिकरण करना।

पात्रता :

18 से 59 वर्ष आयु तक के स्वनियोजित कर्मकार जो ढ़ाई एकड़ या उससे कम कृषि योग्य भूमि धारित करते हो, या भवन एंव अन्य निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में निबंधन नहीं होने वाले नियोजनों में मजदूरी कर्मकार, जिसकी मजदूरी सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं हो।

निबंधन : निःशुल्क।

लाभकारी योजनायें :

1. **असंगठित कर्मकार बीमा योजना :** आयुवर्ग 18–50 वर्ष के निबंधित असंगठित कर्मकारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंव प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना से आच्छादित किया जायेगा, जिसका वार्षिक अंशदान सरकार द्वारा दिया जायेगा।
2. **अंत्येष्ठि सहायता योजना :** निबंधित कर्मकारों के सामान्य मृत्यु (60 वर्ष की आयु तक) होने की स्थिति में आश्रित को 15,000/– रुपये एंव कार्य के दौरान दुर्घटना एंव व्यवसायजनित रोग से मृत्यु हो जाने पर 25,000/– रुपये दिया जायेगा। आवेदन के साथ निबंधन प्रमाण पत्र एंव मृत्यु प्रमाण पत्र तथा दुर्घटना से मृत्यु होने की स्थिति में FIR@Post Mortem Report की प्रति आवेदन के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
3. **कौशल उन्नयन योजना :** निबंधित असंगठित कर्मकार स्वयं या उनके दो पुत्र/पुत्री के इच्छा एंव योग्यता के अनुसार कौशल उन्नयन हेतु चयनित सदस्यों को झारखण्ड कौशल विकास मिशन के माध्यम से प्रशिक्षण।
4. **चिकित्सा सहायता योजना :** निबंधित महिला असंगठित कर्मकारों के प्रथम दो प्रसूतियों के लिए प्रति प्रसुति 15,000/– रुपये की दर से भुगतान किया जायेगा।

निबंधन पदाधिकारी :

अंचल में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी एंव जिले में श्रम अधीक्षक। आवेदन विहित प्रपत्र में आधार कार्ड, बैंक खाता, नोमिनी का आधार कार्ड की छायाप्रति तथा 02 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ जमा करेंगे। आवेदन का प्रपत्र संबंधित पदाधिकारी से प्राप्त करें या Online निबंधान shramdhan.jharkhand.gov.in साइट पर करें। लाभ के लिए आवेदन सभी कागजात के साथ अंचल के श्रम प्रर्वत्तन पदाधिकारी के पास जमा करें।

असंगठित कर्मकारों के बच्चों के लिए मुख्यमंत्री छात्रवृति योजना :

क्र.कक्षावार विवरण	छात्र	छात्रा
1. कक्षा 1 वीं से कक्षा 4वीं तक	250/—	250/—
2. कक्षा 5वीं से कक्षा 8वीं तक	500/—	950/—
3. कक्षा 9वीं	700/—	1100/—
4. कक्षा 10वीं	1400/—	1800/—
5. कक्षा 11वीं से कक्षा 12वीं तक	3000/—	3400/—
6. उच्च शिक्षा गैर तकनीकी एवं गैर व्यवसायिक पाठ्यक्रम	4000/—	4000/—
7. इंजीनियरिंग तथा मेडिकल में अध्ययनरत	8000/—	8000/—

प्रक्रिया :

योजना का लाभ हेतु आवेदन की प्रक्रिया shramadhan Portal ij Online है। योजना के संबंध में कोई भी विसंगति होने पर बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

अधिक जानकारी के लिए :

स्थानीय श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी / जिला में पदस्थापित श्रम अधीक्षक / सहायक श्रमायुक्त / उप श्रमायुक्त का कार्यालय से संपर्क करें।

Toll Free No : 1800345626

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

उद्देश्य :

- गाँव के सभी महिला एवं पुरूष जो काम करने के लिए इच्छुक हैं उन्हें एक वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराना।
- महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के द्वारा बेरोजगारी को कम करना, लोगों के आय स्रोतों को बढ़ाना एवं गाँव से पलायन को रोकने की कोशिश करना।

पात्रता :

18 वर्ष से उपर के वैसे महिला एवं पुरूष जिनमें कार्य करने की क्षमता तथा इच्छा हो।

प्रकिया :

- 18 वर्ष से उपर वैसे महिला एवं पुरूष जिनमें कार्य करने की इच्छा हो उन्हें सर्वप्रथम जॉब कार्ड बनाना होता है जिसके लिए पंचायत भवन में आवेदन करना पड़ता है।
- पंचायत सेवक के सत्यापन के बाद जॉब कार्ड बनाया जाता है।
- इसके बाद लाभार्थी को बैंक/लैम्पस/डाकघर में खाता खुलवाना पड़ता है।
- इच्छुक जॉब कार्ड धारक काम के जरूरत होने पर पंचायत सेवक के पास आवेदन देंगे।
- आवेदन देने के 14 दिनों के अन्दर उस व्यक्ति को 5 किलोमीटर के दायरे में काम दिया जाता है। यदि 5 किलोमीटर से दूर काम की व्यवस्था की जाती है तो मजदूरी का 10 प्रतिशत अधिक देय होता है।
- काम करने के बाद उनकी मजदूरी को उनके खाता में जमा कर दिया जाता है।
- जॉब कार्ड बनाने में ए.पी.एल./बी.पी.एल. महिला/पुरूष में भेद नहीं किया जाता है।

सम्पर्क :

ग्राम सेवक, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना

मनरेगा की भांति झारखंड के शहरी क्षेत्र में निवास करनेवाले 18 वर्ष से अधिक आयु के अकुशल श्रमिकों को एक वित्तिय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार सुनिश्चित करने हेतु मुख्यमंत्री श्रमिक योजना की शुरूआत की गई। इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार शहरी एंव ग्रामीण क्षेत्र के गरीब लोगों को रोजगार उपलब्ध कराएगी। यही नहीं 15 दिनों में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना जॉब कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु एक पोर्टल भी लाँच कर दिया गया है। इस योजना का लक्ष्य 31 प्रतिशत शहरी आबादी को लाभन्वित करना है।

जॉब कार्ड :

इस योजना के तहत झारखंड के शहरी प्रवासी मजदूरों को रोजगार के लिए मनरेगा की तरह ही जॉब कार्ड प्रदान किया जाएगा। झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के अंतर्गत्त शहरी क्षेत्र में रहने वाले अकुशल प्रवासी मजदूरों को रोजगार प्रदान किया जाएगा ताकि वे अपनी आजीविका अच्छे से चला सकें और श्रमिकों को रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश ना जाना पड़े। उन्हें अपने वार्ड क्षेत्र में ही आसानी से काम मिल जाये। राज्य के जो इच्छूक लाभार्थी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो वे झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत आवेदन करना होगा।

उद्देश्य :

कोरोना काल में पूरे देश में प्रवासी मजदूरों की दयनीय स्थिति से सभी परिचित है। लॉकडाउन में पूरे देश में मजदूरों अपने–अपने राज्य में बड़ी संख्या में लौट आए। इन मजदूरों के सामने रोजगार की बड़ी समस्या खड़ी हो गई। इन प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना की शुरूआत की गई जिससे वे अपना और अपने परिवार के सदस्यों का भरण पोषण कर सकें। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून (MANREGA) की तरह ही इस योजना में भी अकुशल श्रमिकों को जॉब कार्ड उपलब्ध कराया जायगा। इस योजना के तहत श्रमिकों को अपने ही राज्य में रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। जिससे उन्हें रोजगार की खोज में इधर–उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

विशेषताएं :

- इस योजना के तहत प्रवासी मजदूरों को रोजगार के अवसर प्राप्त होगें।
- इस योजना के तहत झारखंड राज्य के शहरी निवासी 18 वर्ष से अधिक आयु के अकुशल श्रमिकों को 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी जाएगी।
- यदि इस योजना के तहत श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल पाता है तो उन्हें सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा।
- राज्य के मजदूरों को रोजगार प्रदान करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यो को इस योजना के तहत शामिल किया गया है।
- इस योजना के माध्यम से अकुशल मजदूरों को रोजगार कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा जिसके अनुसार मजदूरों को रोजगार प्रदान किया जाएगा।

पात्रता :

- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का झारखंड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है।
- इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए श्रमिक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के अंतगर्त्त ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले आवेदकों के पास मनरेगा कार्ड नहीं रहना चाहिए।
- इस योजना के तहत महिला एंव पुरुष दोनों श्रमिक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

जरूरी दस्तावेज :

- श्रमिक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- मोबाइल नंबर
- निवास प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन प्रक्रिया :

- राज्य के इच्छुक अकुशल श्रमिक जो इस योजना के पात्र हैं और इसका लाभ उठाना चाहते हैं वे मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- यह आवेदन आप किसी भी समय अपनी ग्राम पंचायत में जमा करवा सकते हैं। आवेदन विकास प्रखण्ड कार्यालय में भी दिया जा सकता है।
- झारखंड मुख्यमंत्री श्रमिक रोजगार योजना के तहत जॉब कार्ड एंव अन्य विवरण इन्टरनेट कैफे/प्रज्ञा केन्द्र से प्राप्त कर सकते है।

प्रधानमंत्री उज्जवला योजना

उद्देश्य :

- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का उद्देश्य पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना है जो कि एल.पी.जी. कनेक्शन वितरित करके पूरा किया जा सकता है। तथा योजना को लागू करने का एक मुख्य उद्देश्य यह भी है कि महिलाओं के स्वास्थ्य कि भी सुरक्षा की जा सकती है। वर्तमान में हो रहे प्रदूषण को कम करना है यह तभी संभव है जब जीवाश्म इंधनों का उपयोग कम से कम किया जाये और शुद्ध ईंधन के उपयोग को बढ़ाकर प्रदूषण में कमी लाना भी योजना के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। जो बीमारियों अशुद्ध जीवाश्म ईंधन के जलने से होती हैं। इन्हे उज्ज्वला योजना के द्वारा कम किया जा सकता है इस प्रकार यह योजना महिलाओं को स्वस्थ रखने में भी सहायक सिद्ध होगी।

पात्रता :

- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना प्राप्त करने के लिए B.P.L. राशन कार्ड होना आवश्यक है तभी आप इसकी पात्रता में आ सकते है। जो भी आवेदक इस पात्रता में सही नहीं पाये जाएंगे उन्हें गैस कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।

प्रक्रिया :

- उज्जवला योजना में रसोई गैस प्राप्त करने के लिए आवेदन करना बहुत

ही आसान है। इसके लिए बस आप के पास बी.पी.एल. (गरीबी रेखा) का कार्ड होना आवश्यक है इच्छुक उम्मीदवार जो इस योजना के तहत रसोई गैस कनेक्शन चाहते हैं उन्हें योजना का आवेदन पत्र भरकर अपने नजदीकी एलपीजी वितरण केंद्र में जमा कराना होगा।

- दो पन्ने का आवेदन पत्र में सभी जानकारी भरकर जैसे नाम, पता, आधार नंबर तथा जन धन/बैंक खाता नंबर भरकर वितरण केंद्र पर जमा करवाना होगा।
- आवेदन करते समय आप को ये भी बताना होगा की आप को 14.2 किलो वाला गैस सिलिंडर चाहिए या फिर 5 किलो वाला।
- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के लिए आवेदन करना बहुत ही आसान है। जो भी उम्मीदवार इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं उन्हें योजना का आवेदन पत्र भरकर अपने नजदीकी L.P.G. वितरण केंद्र में जमा कराना होगा।
- प्रधानमंत्री उज्जवला योजना का आवेदन पत्र L.P.G. वितरण केंद्र से मुफ्त में दिया जाता है तथा Online भी डाउनलोड कर सकते है। आवेदन पत्र में मांगी गयी सभी जानकारी जैसे कि नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, जन धन / बैंक खाता संख्या इत्यादि भरना आवश्यक है।

जरूरी दस्तावेज :

- B.P.L. राशन कार्ड
- ID प्रूफ जैसे की आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र
- एक पासपोर्ट साइज फोटो
- टेलीफोन, बिजली या पानी का बिल
- राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित स्व–घोषणा पत्र
- राशन कार्ड
- बैंक/क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट

आवेदन कैसे करे :

- बी.पी.एल. परिवार की एक महिला, निकटतम एल.पी.जी. वितरक के लिए एक नया रसोई गैस कनेक्शन (निर्धारित प्रारूप में) के के लिए

आवेदन कर सकते हैं।

- आवेदन पत्र प्रस्तुत करते समय, महिला की विस्तृत पता प्रस्तुत करने के लिए बैंक खाता और घर के सभी सदस्यों की आधार संख्या देनी होगी।
- आवेदन पर कार्रवाई के बाद पात्र लाभार्थियों को तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा कनेक्शन जारी किया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना

उद्देश्य :

- सभी के लिए आवास प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता को देखते हुए प्रधान मंत्री आवास योजना संरचित किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर देश भर में ग्रामीण क्षेत्रों में लागू किया गया।

मुख्य विशेषताएं :

- इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की उम्मीद है।
- यूनिट (घर) सहायता की लागत केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच सामान्य क्षेत्रों में 60:40 और उत्तरी–पूर्व और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 के बीच साझा की जानी है।
- 2011 के सामाजिक–आर्थिक जाति की जनगणना से ली गई आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण घरों के लाभार्थियों का चयन किया जाता है।
- फंड को इलेक्ट्रॉनिक रूप से सीधे लाभार्थी के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा।

लाभार्थियों का चयन :

लाभार्थियों की पहचान और चयन, ग्राम सभा के माध्यम से आवास की कमी और अन्य सामाजिक अभाव मापदंडों के आधार पर समुदाय द्वारा किया जाता है। सरकार पी.एम.ए.जी. के लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार करने के लिए 6 कदम प्रक्रिया का पालन करती है। छह चरण निम्नानुसार है।

- उम्मीदवारों की सूची तैयार करना
- सूची के भीतर लाभार्थियों की प्राथमिकता

- ग्राम सभा द्वारा प्राथमिकता सूची का सत्यापन
- अपीलीय समिति द्वारा शिकायत निवारण
- अंतिम प्राथमिकता सूची का प्रकाशन
- वार्षिक चयन सूचियों की तैयारी

अबुआ आवास योजना झारखंड

उद्देश्य :

- अबुआ आवास योजना झारखंड सरकार द्वारा झारखंड राज्य के गरीब परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई राज्यस्तरीय आवास योजना है। इस योजना के तहत उन सभी परिवारों को तीन कमरों वाला पक्का मकान दिया जाता है जिनके पास पक्का मकान नहीं है। सरकार की तरफ से इस योजना के तहत पक्का मकान बनाने के लिए 2,00,000/– रुपये का आर्थिक मदद दिया जाएगा। अबुआ आवास योजना का उदेश्य उन लोगों को घर उपलब्ध कराना है जो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना (पी.एम.जी.ए.वाई.) के तहत लाभ से वंचित थे। इस योजना की शुरुआत 15 अगस्त 2023 को तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया, इसकी पहली किस्त 23 जनवरी 2024 को दिया गया।

पात्रता :

- लाभार्थी झारखंड राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- लाभार्थी निम्नलिखित में से किसी एक वर्ग से सम्बन्ध रखता हो।
  - ⇨ परिवार कच्चे मकान में रहता हो, बेघर या निराश्रित परिवार हो।
  - ⇨ विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह (पीवीटीजी) के परिवार।
  - ⇨ प्राकृतिक आपदा के शिकार परिवार।
  - ⇨ कानूनी तौर से रिहा किया गए बंधुआ मजदूर।
  - ⇨ लाभार्थी परिवार ने पहले निम्न में से किसी योजना का लाभ न लिया हो।
  - ⇨ प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण।
  - ⇨ बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर आवास योजना।
  - ⇨ इंदिरा आवास योजना
  - ⇨ बिरसा आवास योजना

आवेदन प्रक्रिया :

- अबुआ आवास योजना में मकान बनाने हेतु आर्थिक सहायता के लिए लाभार्थी आवेदन पत्र के माध्यम से आवेदन कर सकता है, जो प्रखण्ड कार्यालय, पंचायत कार्यालय और ग्राम सभा कार्यालय में निशुल्क मिलता है। आवेदन पत्र "आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार" कार्यक्रम के माध्यम से भी प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन पत्र को भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ उसी कार्यालय में जमा करना होगा। सम्बंधित अधिकारियों द्वारा मिले आवेदन पत्र और दस्तावेजों की गहनता से जांच की जाएगी। जांच के पश्चात पात्रता सूची जारी होगी, जिन लाभार्थियों का नाम होगा उन्हें एस.एम.एस. के माध्यम से उनके मोबाइल पर सूचित किया जायेगा।

आवश्यक दस्तावेज :

- झारखंड का स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (अगर सम्बंधित हो तो)
- आय प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- बैंक खाते का विवरण
- मोबाइल नंबर

प्रधानमंत्री जन धन योजना

उद्देश्य :

- प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अनेक सुविधाएँ दी जाएगी। जिससे गरीब जनता को फायदा होगा। जन धन योजना के तहत खाता धारकों को 30000/– रुपये की न्यूनतम राशि का जीवन बीमा एवं 1 लाख का एक्सीडेंटल बीमा दिया जाने का प्रावधान है।

- यदि आपने जन धन के तहत बैंक अकाउंट खुलवाया है तो छह महीने के अंतराल में 5000/– रुपये तक की राशि ऋण के तौर पर सीधे बैंक से ले सकते हैं जिससे उनको किसी से ब्याज पर पैसे लेने की जरुरत नहीं है इससे गरीबो में आत्म निर्भरता का भाव जागता है।

- अन्य बचत खाते के लिए खाताधारी को कुछ न्यूनतम राशि बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य होता है यह राशि खाताधारी की ही होती है। पर गरीबों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाते बिना किसी राशि के खोले जा रहे, जिन्हें जीरों बैलेंस सुविधा कहा जाता है।
- एटीएम कार्ड–प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत खाताधारी को रूपये कार्ड की सुविधा दी जाएगी। यह कार्ड पूरी तरह से अन्य एटीएम की तरह ही काम करेगा। इस कार्ड से आप एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते है। जैसे हमारे और एटीएम कार्ड काम करते है ये कार्ड भी उसी तरह काम करेगा।
- अन्य खातों की तरह ही प्रधानमंत्री जन धन योजना के खाते की सभी जानकारी मोबाइल पर मैसेज के जरिये प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए महंगे एंड्राइड फोन की आवश्यकता नहीं है यह सुविधा साधारण मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
- प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत बैंक अकाउंट खोले जा रहे है, जिसमें 10 वर्ष से अधिक आयु के बालक/बालिका का खाता खोले जा सकते है। जिनकी देख–रेख उनके माता–पिता कर सकते हैं।
- किसी भी बैंक में खाता खोलने के लिए एक उचित परिचय पत्र अनिवार्य होता है लेकिन अगर किसी के पास यह नहीं है तो यह प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत अपना खाता खोल सकता है जिसमे कोई भी गजेटेड ऑफिसर द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र जमा करवाकर खाता खोला जा सकता है जिसे Low Risk Account की गिनती में रखा जाता है और इसे स्माल अकाउंट कहा जाता हैं जिसे एक वर्ष की अवधि तक सुचारू रखा जायेगा। इस एक वर्ष में खाताधारी को कोई उचित परिचय पत्र बैंक में जमा करना।
- अगर किसी का पहले से कोई भी बैंक में खाता है तो वह अपने खाते को प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत ट्रान्सफर करवा सकता है जिससे वो प्रधानमंत्री जन धन योजना के सारे लाभ उठा सके।

किसान क्रेडिट कार्ड (K.C.C.)

उद्देश्य :

- किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को बैंक द्वारा खेती करने के लिए ऋण मिलता है, जिससे किसान समय रहते ही खेती के लिए उपकरण, बीज, इत्यादि के लिए ऋण ले सकता है। K.C.C. से किसान अपनी जरूरत के हिसाब से कभी भी पैसे की निकासी कर सकता है।

मुख्य बिन्दु :

- यह सभी किसान, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए आवेदन कर सकते है जो स्वयं के खेत में खेती करते हों वह किसी भी तरह के फसल उत्पादन से जुड़े हों। किसान चाहे तो एकल या सम्मिलित क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
- किसान क्रेडिट कार्ड के लिए किसान का बैंक के ऑपरेशन एरिया में होना जरूरी है।परंतु एक बार कार्ड बन जाने के बाद किसान बैंक की किसी भी शाखा से पैसे की निकासी या जमा कर सकता है।
- किसान क्रेडिट कार्ड के तहत बीज, उर्वरक, फसल कटाई के बाद का खर्च, जानवरों का खर्च, अन्य कृषि संबंधी गतिविधियों में होने वाले खर्च एवं रखरखाव के लिए, किसान की आवश्यकताओं के साथ कार्यशाली पूंजी के उत्पादन, मतस्य पालन, आदि के लिए लघु अवधि के ऋण ले सकते है।
- ऋण की राशि कृषि योग्य क्षेत्र, पूर्व उत्पादन, जमीन की उर्वरकता एवं खेत को पुनः कृषि योग्य बनाने में लगने वाली लागत आदि पर निर्भर करता है।
- KCC में ब्याज 7 प्रतिशत की दर से लगता है। अगर खाते का संचालन अच्छे से किया जाए तो 3 प्रतिशत ब्याज माफी भी मिलता है और आगे से 4 प्रतिशत की दर से ब्याज दर लगता है।

जरूरी दस्तावेज :

- फॉर्म
- पहचान पत्र
- A.P.C.
- वंशावली, अगर जमीन आवेदक के नाम से ना हो तो

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

उद्देश्य :

- इस योजना का उद्देश्य देश के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को कौशल विकास के द्वारा रोजगार का अवसर प्रदान करना है।
- इस योजना के तहत युवाओं को उनकी पसंदीद ट्रेड में प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे अपने कार्य क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त कर सकें।
- इस योजना का उद्देश्य देश से बेरोजगारी को दूर करना और कौशलयुत्त कार्य बल को बढ़ावा देना है।
- युवाओं को आत्मनिर्भर बना कर देश में उत्पादन प्रक्रिया को सशक्त करना।

पात्रता :

- आवेदक भारतीय नागरिक हो
- बुनियादी जानकारी हो
- आवेदक शिक्षित बेरोजगार हो
- प्रशिक्षण के लिए इच्छुक हो
- क्षेत्रीय भाषा, हिन्दी या अंग्रेजी का ज्ञान हो

लाभ :

- नि:शुल्क प्रशिक्षण
- स्वरोजगार से आत्मनिर्भरता
- प्रशिक्षण उपरांत प्रमाण पत्र
- देशव्यापी प्रशिक्षण सुविधा
- रोजगार के व्यापक अवसर
- प्रशिक्षित ट्रेड में स्वरोजगार हेतु ऋण सुविधा

आवश्यक दस्तावेज :

- आधार कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साईज फोटो
- मोबाइल नंबर
- ई मेल आई.डी.
- बैंक पासबुक

प्रक्रिया :

- योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन करें।
- आनलाइन पंजीकरण कराएं।
- कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए अधिकृत प्रशिक्षण केन्द्र में जाकर प्रत्यक्ष रूप से आवेदन करें।
- प्रशिक्षण उपरांत प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अवश्य लें।
- रोजगार हेतु प्लेसमेंट अभियान में भाग लेकर रोजगार प्राप्त करें।
- स्वरोजगार आरम्भ करना चाहते हैं तो अपनी रुचि और प्राप्त प्रशिक्षण अनुसार परियोजना तैयार कर ऋण सुविधा का लाभ उठाएं एवं अपना काम शुरू करें।

संपर्क :

- प्रधानमंत्री कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र
- जिला उद्योग केन्द्र
- उद्यमिता विकास प्रशिक्षण केंद्र
- इस क्षेत्र में कार्यरत संस्थान

बिरसा हरित क्रांति योजना

उद्देश्य :

- ग्रामीणों को फलदार वृक्षों को लगाने के लिए प्रोत्साहित करना जिससे उन्हें रोजगार प्राप्त हो।
- बुजुर्गो, महिलाओं और विधवा महिलाओं को प्राथमिकता देकर रोजगार सृजन करना।
- वृक्षारोपण के तीन वर्षो के बाद प्रत्येक परिवार के लिए 50/– हजार रुपये तक की आमदनी अर्जित करना।
- फलों की उत्पादकता और बलों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देना एवं इसके लिए बाजार उपलब्ध कराना।
- मनरेगा के तहत अधिकतम कार्य दिवस का सृजन करना।

लाभुक :

- बुजुर्ग
- महिला
- विधवा
- अनुसूचित जाति के लोग
- अनुसूचित जनजाति के लोग
- भूमिहीन
- आदिम जनजाति
- अत्यंत गरीब एवं पिछड़े वर्ग के लोग

योजना के तहत कार्य :

- आम वृक्षारोपण
- फलदार पौधों का रोपण
- आसन (तसर कीट) एवं सेमीयालता (लाह कीट) वृक्षारोपण

क्रियान्वयन :

- यह मनरेगा अंतर्गत क्रियान्वित वृक्षारोपण योजना है। रैयती या सार्वजनिक जमीन/जी.एम. दोनों प्रकार के जमीन में इस योजना को क्रियान्वित किया जा सकता है।
- फलदार वृक्षारोपण के अलावा तसर कीट पालन हेतु अर्जुन या आसन एवं लाह कीट पालन हेतु सेमीयालता की भी बागवानी किया जा सकता है।
- आम के अलावा अन्य फलदार वृक्ष जैसे अमरूद, नींबू, शरीफा आदि का भी रोपण हो सकता है।
- बागवानी की योजना 5 वर्षो के लिए क्रियान्वित की जाएगी।
- रैयती जमीन पर एक परिवार को अधिक से अधिक 1 एकड़ में फलदार वृक्षारोपण एवं 2.5 एकड़ तक तसर कीट पालन हेतु वृक्षारोपण किया जा सकता है इसी प्रकार कम से कम 50 डिसमील में फलदार वृक्षारोपण एवं 1 एकड़ में तसर वृक्षारोपण किया जा सकता है।
- गैर मजरुआ जमीन पर एक योजना के 100 पौधे की एक ईकाई होगी जिसके देखभाल करने की जिम्मेदारी ग्राम सभा द्वारा चयनित अति गरीब, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, भूमिहीन, आदिम जनजाति आदि परिवार को दिया जाएगा वही इसके लाभुक होंगे।

- गैर मजरुआ जमीन में रोपित वृक्षारोपण की एक ईकाई में कुल 100 पौधे इस प्रकार होंगे– 24 आम, 24 अमरुद, 22 इमारती/चारा हेतु 20 नींबू और 10 सहजन वृक्ष होंगे।
- एक गाँव में न्यूनतम 5 एकड़ जमीन पर फलदार वृक्षारोपण किया जाएगा।

संपर्क :

- ग्राम सभा
- प्रखण्ड बागवानी विभाग
- बागवानी मिशन
- मनरेगा कार्यक्रम कार्यकारी

मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना

उद्देश्य :

- इस योजना के माध्यम से झारखंड सरकार राज्य के किसानों को गौ पालन, बकरी पालन, सूअर पालन, कुकुट पालन एवं बत्तख पालन हेतु प्रोत्साहित करके आर्थिक लाभ पहुंचा कर सशक्त करना।

पात्रता :

- झारखंड का मूलनिवासी होना।
- आवेदक को पशुपालक या किसान होना।
- आवेदक के पास सभी जरुरी दस्तावेज एवं पशुपालन के लिए जगह, पानी आदि की व्यवस्था होना आवश्यक है।
- योजना के लाभ के लिए पात्रता एवं शर्तो का पूरा होना आवश्यक है।

आवश्यक दस्तावेज :

- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साईज फोटो
- विकलांग प्रमाण पत्र

- विधवा प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
- मोबाइल नंबर

लाभ :

- राज्य के किसानों की आय में वृद्धि होगी।
- किसानों को आजीविका का अतिरिक्त साधन मिलेगा।
- अच्छी नस्ल एवं गुणवत्ता के पशुओं की खरीद के लिए सरकार के द्वारा अधिकतम 90% तक की सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
- योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को 75% तक अनुदान प्रदान किया जाएगा।
- योजना के माध्यम से पशुओं के स्वास्थ्य के लिए सरकार द्वारा ऐंबुलेंस की सुविधा, डायग्नोस्टिक और प्रयोगशाला की व्यवस्था की जाएगी।
- झारखंड सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से लगभग एक करोड़ औषधि टीकों का निर्माण किया जाएगा।

प्रक्रिया एवं क्रियान्वयन :

- आवेदक द्वारा ऑफलाईन आवेदन देना होगा इसके लिए सबसे पहले आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।
- आवेदन पत्र में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी देनी होगी।
- आवेदन पशुपालन कार्यालय में जमा करना होगा।
- आवेदन प्रक्रिया पूरी करने के बाद कार्यालय में सत्यापन किया जाएगा।
- आवेदन सत्यापित करने के बाद योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।

संपर्क :

- स्थानीय पशुपालन कार्यालय
- अपने क्षेत्र का पशुपालन विभाग

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना

उद्देश्य :

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक विशेष पहल है जो किसानों को न्युनतम आय सम्मान के रूप में प्रति वर्ष 6000/– रुपये तक सहायता प्रदान करती है। छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है ताकि प्रत्येक फसल चक्र के अंत में अनुमानित कृषि आय के अनुरूप उचित फसल स्वास्थ्य और उचित उपज सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक खरीद कर सकें।

पात्रता :

- सभी भूमिधारक किसान जिनके पास कृषि योग्य भूमि है इस योजना के अन्तर्गत लाभ पाने के हकदार हैं। छोटे एवं सीमांत किसान परिवार जिनमें पति पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं। पति पत्नी या बच्चे अलग अलग लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं। अलग अलग संबंधित परिवारों द्वारा भूमि के संयुक्त स्वामित्व के मामले में, उन्हें लाभ मिलेगा।

आवश्यक दस्तावेज :

- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण आवास
- कृषि भूमि के स्वामित्व का प्रमाण पत्र
- बैंक खाता का विवरण

प्रक्रिया :

- निकटतम सामान्य सेवा केन्द्र (सी.एस.सी.) में पंजीकरण कराएं।
- आधिकारिक वेबसाइट पर किए गए आवेदन का स्टेटस जांच करें।
- आफलाईन आवेदन राजस्व कर्मचारियों और इस प्रयोजन के लिए नियुक्त एजेंसियों के माध्यम से भी कर सकते हैं।

संपर्क :

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी।
- स्थानीय राजस्व कार्यालय।
- राजस्व कर्मचारी।
- इस योजना के लिए नियुक्त एजेंसी।

Technology Resource Communication & Service Centre (TRCSC)

Welfare Tower, Flat # 105, 1st Floor, Dimna Road, P.O.: Mango, Jamshedpur
Jharkhand - 831 012, India Ph. : **+91 99393 77268**
Email : trcsc_jsr@yahoo.com/trcsc2004@gmail.com | Website : www.trcsc.org

Printed # Jharkhand Press 8789452721